श्री फखरुद्दीन अहमद : उन पर असर नहीं पड़ेगा ।

Shri Hem Raj: May I know whether it is a fact that the 100 families who are going to be displaced by the Pong Dam within two months have not been provided land in Rajasthan and no decision has been taken so far regarding the landless labour which is going to be displaced from that area?

Dr. K. L. Rao: Actually, all the details have been worked out, it is just awaiting final touches. In fact, we are very anxious to see that these oustees are settled as early as possible because we are having two canals which will supply irrigation water in the course of the next few months.

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग का कर्मचारी संघ

+

*779. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री प० कुन्हन :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री सोलंकी :
श्री नारायण वांडेकर :

क्या **वित्त मंत्री** भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई भूख हड़ताल के बारे में 9 मार्च, 1966 को दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा कर्मचारी संघ के रांची में हुए सम्मेलन का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या सरकार ने दिये गये आश्वासन के अनुसरण में नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक को इस संघ को मान्यता देने की सिफारिश की है; और

(ग) इस बारे में नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था : लेकिन नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सलाह दी गई थी कि संघ और उसके पदधारियों के साथ वस्तुतः मान्यता के आधार पर व्यवहार किया जाय क्योंकि अभी ऐसे कोई नियम नहीं हैं जिनके अन्तर्गत औपचारिक मान्यता दी जा सके ।

(ग) नियंत्रक महालेखापरीक्षक गृह-मंत्रालय के साथ सलाह करके मामले पर विचार कर रहे हैं । उन्होंने संघ को भी लिख दिया है कि उसे वस्तुतः मान्यता दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

Shri S. M. Banerjee: I rise on a point of order.

The hon. Minister just now said that no such assurance was given. May I invite your kind attention to the assurance given by the hon. Finance Minister in reply to a calling attention notice on 9th March, 1966.

Mr. Speaker: That might be an incorrect answer. It is not a rule; I have not to interpret it . . . (*Interruptions*).

Shri S. M. Banerjee: My point of order is this. Kindly hear me. This question has been based on a reply given by the hon. Finance Minister on 9-3-1966; we waited patiently. In the course of a discussion on this issue, the Finance Minister assured the House that once the association holds a conference and elects its working committee and office-bearers, the question of granting *de facto* recognition will be favourably considered; it was not left to the Comptroller and Auditor General but it was an assurance given on the floor of the House. Is it open to the Minister to act differently now? I want a ruling from you. Can he deviate from the past assurance?

Mr. Speaker: It is not a matter of rules that I can give a ruling on that.

Shri Hem Barua: But Members can draw your attention.

Mr. Speaker: That is a different thing; there is a different procedure. Dr. Lohia.

डा० राम मनोहर लोहिया : मई 1965 में गृह मंत्रालय ने एक फैसला लिया था कि जो कोई संघ मान्यता के नियम चाहे खत्म कर दिये गये हैं लेकिन उनके अनरूप होगा उस को असली यानी अमली मान्यता दे दी जायगी यह मई 65 का फैसला है जो अभी मंत्री जी के कहने के खिलाफ़ जाता है और यह भी देखते हुए कि इस संघ ने अप्रैल महीने में अपने अफसरों और कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची सरकार को दे दी जो वित्त मंत्री ने मांगी थी तो मैं जानना चाहता हूं कि जितनी भी बातें उन्होंने कही थीं वह सब पूरी हो जाने पर भी संघ को मान्यता अभी तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं बनर्जी साहब और डाक्टर साहब को एक साथ जवाब देना चाहूंगा । अब बनर्जी साहब ने या तो उत्तर समझने की कोशिश नहीं की या शायद भ्रम में हैं । यह बात नहीं कि हम मान्यता देना नहीं चाहते हैं । जो 9 मार्च को आश्वासन वित्त मंत्री ने दिया था वह अभी तक क़ायम है । इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ दिन पहले उन को कहा गया था कि डिफैक्टो रेक्गनीशन उन को दे दिया जायगा । इस को फौरमल रेक्गनीशन देने में दिक्कत है । सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके कि अनुसार हम फौरमल रेक्गनीशन उस हालत में नहीं दे सकते हैं लेकिन डिफैक्टो रेक्गनीशन हम देना चाहते हैं । हम ने उनसे कहा है और वह उन मिलने जा रहा है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अभी ऐलान क्यों नहीं कर देते कि दे रहे हैं ? यहां पर ऐलान कर दीजिये कि हम उन्हें डिफैक्टो रेक्गनीशन दे रहे हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : हम तो नहीं दे सकते ।

डा० राम मनोहर लोहिया : फिर कौन दे सकता है ?

श्री स० मो० बनर्जी : आश्वासन तो आप ने पार्लियामेंट में दिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : रेक्गनीशन मैं तो नहीं दे सकता । वहां के जो मालिक हैं और जो कर्मचारी हैं दोनों के बीच में बात होगी । हम पार्लियामेंट वाले चाहे या सरकारी मिनिस्टर्स वहां जाकर सलाह नहीं देते । हम लोगों ने यहां से राय दी है, सलाह दी है, कि उन्हें डिफैक्टो रेक्गनीशन दे देना चाहिए

और उम्मीद है कि दे दिया जायेगा बाक़ी मैं यहां कैसे कह दूं कि दे दिया जायगा ?

हया : इस में जो सारे आडिट, हिसाब वाले कर्मचारियों में सब से नीची तनख्वाह के मजदूर को सब भत्तों समेत और तनख्वाह समेत कुल कितना रुपया मासिक मिलता है और सब से ऊंची तनख्वाह वाले अफसर को सब भत्तों और सब सुविधाओं समेत कुल कितनी तनख्वाह मिलती है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह तो सवाल अध्यक्ष महोदय, रेक्गनीशन देने के विषय में था । अब जहां तक वेतनों आदि में असमानता और डिस्पैरिटी का सवाल है वह तो जैसी हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था चल रही है उसी के अनुरूप होगी ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल रेक्गनीशन के बारे में था अब वह तनख्वाहों और डिस्पैरिटी आदि के बारे में अभी नहीं बतला सकते ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ठीक है पेज की डिस्पैरिटीज के बारे में वह अभी नहीं बतला सकते लेकिन आखिर आप कभी कोई फैसला करें कि मंत्री लोग जब यहां सवालों के जवाब देने आया करें तो उस विषय की बुनियादी और मामूली जानकारी ले कर आया करें ।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, यह तो वाजिब बात है कि वह जरूरी इनफौरमेशन लेकर आया करें तो सवाल तो रेक्गनीशन के बारे में था अब यह कि वहां कम से कम तनख्वाह कितनी मिलती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी मिलती है तो वह इनफौरमेशन उनके पास इस वक्त नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : कोई चीज मालूम न हो खाली कह दिया कि मान्यता देंगे ।

श्री बागड़ी : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि उस को मान्यता देने का हमें अधिकार नहीं है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो यह कर्मचारी हैं वह तो सरकारी कर्मचारी हैं तो फिर सरकारी कर्मचारियों को मान्यता देने का किस को अधिकार है और अगर हो तो जो सरकारी अफसर मान्यता देने वाले हैं उन से मंत्री महोदय का क्या सम्बन्ध रहेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और अभी भी कायम हैं । बात यह है कि हम लोग उन के जो दैनिक काम हैं उन में दखल नहीं देते हैं चूंकि यह एक पालिसी की बात थी कि उन को रेक्गनीशन डिफैक्टो दें या डिजूरे दें तो उचित समझा गया कि डिफैक्टो रेक्गनीशन देना चाहिए और वह उसे दे रहे हैं और यह उन के फायदे की बात है । बनर्जी साहब ने चुनाव के झगड़े के बारे में सवाल उठाया । उन का चुनाव हुआ सन् 60 में और 63 में जा कर आफिस बिएरर्स बनाये लेकिन इस बीच में आफिस बिएरर्स का कोई चुनाव नहीं हुआ । लेकिन अब इन सवालों को उन्होंने तय कर लिया है और अप्रैल के महीने में सरकार को खबर दे दी गई । सरकार ने कहा कि उन को मान्यता दे दी जाय । हमारे और उनके बीच में सैद्धांतिक मतभेद कोई नहीं है ।

श्री बागड़ी : मैंने कहा कि यह सरकारी कर्मचारी हैं.....

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होंने बतलाया तो है ।

श्री बागड़ी : जो सरकारी कर्मचारी हैं फिर उन्हें कौन मान्यता देगा ? मन्त्री जी ने कहा कि हम उन्हें यह मान्यता नहीं देते हैं तो कम से कम इतना ऐलान तो कर देते कि उन्हें मान्यता दी जा रही है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सम्मेलन और अन्य अफसरों के चुनाव का सवाल है मैंने पिछली बार, मुझे याद है कि सीधे सवाल वित्त मंत्री से किया था कि

क्या नये अफसरों का चुनाव होने के बाद, नये सम्मेलन के बाद क्या तुरन्त मान्यता दे दी जायगी ? खेद की बात है कि अभी तक यह मान्यता नहीं मिली है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह तो बात सही है कि ऑडीटर जनरल नियुक्त किये जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और उन के दफ्तर में जो कर्मचारी काम करते हैं राष्ट्रपति की सलाह से उन के लिए नियम बनते हैं लेकिन जहां तक संघ बनाने का सवाल है मैं मंत्री महोदय से एक सीधी बात का जवाब चाहता हूं कि क्या संघ स्वतंत्रता के बारे में कोई एक ऐसा नियम बनाया जायेगा जो सभी लोगों के लिए लागू किया जायगा चाहे ऑडीटर जनरल हो या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मुहकमे हों, यदि कोई ऐसा नियम है तो उस पर कब और कैसे अमल किया जायगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : माननीय सदस्य को मालूम है कि जो रेकगनीशन देने की जो नियमावली है उस विषय में मुझे खास तजुर्बा तो नहीं है लेकिन जब मैं श्रम मंत्रालय में था तो मुझे याद है, उसमें दर्ज था कि किस हालत में यह दिया जाय और किस हालत में यह न दिया जाय । जो माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि चुनाव के बाद दिया जायेगा तो उस विषय में मैं अभी भी कहता हूं, कि सरकार ने आदेश दिया है कि डिफैक्टो रेकगनीशन आप उन को दे दें ।

श्री मधु लिमये : लेकिन नये ऑडीटर जनरल भी आ गये कब दी जायगी वह मान्यता ? मार्च में यह सवाल उठा था । मैं पूछना चाहता हूं कि वह मान्यता कब उन्हें मिलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बारे में लिख दिया है और वह दे देंगे ।

श्री मधु लिमये : आखिर यह बतलायें कि कब दी जायगी ? नया ऑडीटर जनरल भी आ गया है । आप पूछें तो शायद मंत्री महोदय जवाब भी दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : वह जवाब दे चके हैं ।

श्री मधु लिमये : कब मिलेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं एक या दो दिन की ऐसी कोई निश्चित तिथि तो नहीं बतला सकता बाकी हो सकता है कि उनको रेकनीशन मिल भी गया हो ।

श्री मधु लिमये : नहीं मिली है ।

श्री ल० ना० मिश्र : लेकिन हम लोगों ने (व्यवधान) उत्तर नहीं सुनना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं ।

श्री मधु लिमये : अगर जवाब आ जाय तो हमें बारबार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन जब एक सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि यूनियन को कब मान्यता मिलेगी.....

Mr. Speaker: Order, order. Commentary is going on incessantly. There ought to be some end to it.

श्री किशन पटनायक : 9 मार्च को सरकार ने सदन में कहा था कि रेक्गनीशन सम्बन्धी रूल्स अभी बनने जा रहे हैं या **औन दी प्वाइंट आफ बीइंग फाइनेलाइज्ड** । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह रूल्स अभी तक बन गये हैं और अगर नहीं बने हैं तो क्यों नहीं बने हैं और इस वक्त उन की शिकायतों की सुनवाई की क्या मशीनरी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक रूल्स का सवाल है तो उस के रेक्गनीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एक नये सिरे से उसे करने की बात हो रही है और हम डिफैक्टो रेकगनीशन का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ।

Mr. Speaker: Shri Vasudevan Nair. (*Interruptions.*)

श्री ल० ना० मिश्र : इस संस्था को रेकगनीशन मिला था लेकिन 58 में कुछ कारनामे ऐसे हुए कि उन को रैकगनीशन नहीं मिला ।

श्री किशन पटनायक : पिछली दफ़े कहा था कि वह बन गयी है ।

श्री ल० ना० मिश्र : अभी नहीं बनी है ।

श्री किशन पटनायक : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि कब बनेगी, अगर बनी नहीं है तो क्यों नहीं बनी क्योंकि उस दिन कहा था 9 मार्च को कि **इट इज औन दी प्वाइंट औफ़ बीइंग फाइनेलाइज्ड** ।

अध्यक्ष महोदय : कब तक बन जायेगा ।

श्री ल० ना० मिश्र : इस में दो तीन बातें हैं । उन को बतलाने में उत्तर बहुत लम्बा हो जायेगा । बीच में बात चली थी .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वासुदेवन नायर ।

श्री राम सेवक यादव : इस का उत्तर तो आया ही नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर देने नहीं देते तो मैं क्या करूं । जब मंत्री महोदय जवाब देने लगते हैं तो बराबर कमेन्ट्री चलती रहती है ।

श्री मधु लिमये : अगर प्रश्न का जवाब आयेगा तो हम मुंह नहीं खोलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : किसी वक्त तो बीच में बोलना बन्द होना चाहिए ताकि मैं समझ सकूं कि वह क्या कह रहे हैं । श्री वासुदेवन नायर ।

श्री राम सेवक यादव : हम को उत्तर का पता तो लगना चाहिए । मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ अपनी व्यवस्था दें ?

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । प्रश्न पूछे जाते हैं जानकारी के लिए । दो प्रश्न पूछे गये कि मान्यता कब दी जायेगी, इस की कोई तारीख बताई जाये, नियमावली कब बनाई जायेगी, इस की तारीख बताई जाये । मैं कहता हूं कि आखिर हम कोई जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन उस का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा हैं । मैं इस पर आप का निर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मुझे निर्णय नहीं देना है । जवाब मंत्री महोदय को देना है । उन्होंने कहा कि नियमावली नहीं बनी है । वह कोई तारीख नहीं बतला सकते कि कब तक बन जायेगी तो इस में मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री बागड़ी : वह जवाब दे रहे थे लेकिन आप दूसरे मेम्बर बुला रहे हैं ।

श्री राम सेवक यादव : मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि ..

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि मैं क्या कर सकता हूं । वह बार बार कहते हैं कि नियमावली नहीं बनी । उस के बनने की तारीख वह अभी नहीं बतला सकते ।

एक माननीय सदस्य : वह बता रहेहैं ।

अध्यक्ष महोदय : जो सवाल जवाब किया जाता है उसे कोई नहीं सुनता । लोग बीच में ही बोलने लग जाते हैं । इस तरह से कैसे काम चलेगा । .. (व्यवधान) । यह रेकार्ड पर नहीं जायेगा ।

श्री मधु लिमये :*

श्री राम सेवक यादव :*

श्री बागड़ी :*

*Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : मैं सब को एक साथ कैसे बुला सकता हूं। जब तक सब लोग चुप नहीं हो जाते मैं किसी को सुन नहीं सकता हूं। श्री रामसेवक यादव।

श्री रामसेवक यादव : दो सीधे से प्रश्न थे। एक तो यह कि नियमावली के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था कि वह बनने वाली हैं। कुछ उस का समय भी बतलाया गगा था। लेकिन अब तक वह बन नहीं पायी। उस के कारण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर बहुत लम्बा हो जायेगा। हमें उत्तर दिया जाये कि जब तक वह नियम नहीं हैं तब तक कौन सा तरीका ह यह मशीनरी हैं जिस से शिकायतें दूर होंगी। जो नियम बनाये जाने हैं वह कब तक बन जायेंगे। सीधा सा सवाल है। उसका उत्तर नहीं मिलता तो प्रश्न पूछने का कोई महत्व नहीं रह जाता।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं आप का आभारी हूं कि आप ने बात को साफ किया। मेरा उत्तर साफ है कि नियमावली बनाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन जैसा आप ने कहा वह बन नहीं पाई है और मैं निश्चित तिथि नहीं बतला सकता हूं। लेकिन जहां तक शिकायतों को दूर करने का सम्बन्ध है उस के दो तरीके हैं। एक तो यह कि हम उन की यूनियन को डी फैक्टो रेक्गनीशन देने जा रहे हैं। इस के बारे में आडिटर जनरल से बात हो चुकी है। दूसरे यह कि ज्वायेंट कौंसिलिएशन मशीनरी को भी सेट अप करने की बात हो रही है। मगर यहां पर सदस्य लोग जो बाहर की बात ले कर चल आते हैं....

Shri S. M. Banerjee: I only interrupted and asked whether they are not included in the JCM.

उन्होंने कहा है कि "बाहर की बात ले कर चले आते हैं।"

Is it open to him to say like that?

उन्होंने कहा कि बाहर की बात ले कर चले आते हैं। यहां बाहर वाला कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि ज्वायेंट कंसिलिएशन मशीनरी में उन को इन्क्लूड नहीं किया जा रहा है, वह इस वजह से रिकग्नाइज नहीं हुए हैं। इस सवाल का एक सिम्पल सा जवाब होना चाहिए। लेकिन आधा घंटा हो गया कोई जवाब नहीं आ रहा है। .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से जो मेम्बर दखल देते रहेंगे उन को मैं नहीं बुलाऊंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं दखल देने वाले मेम्बरों को नहीं बुलाऊंगा। श्री वासुदेवन नायर।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने जो बाहर वाली बात कही उस के ऊपर आप ने कुछ नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : क्या बनर्जी अब बैठेंगे नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मेरी बेइज्जती हो जाये। मंत्री महोदय जानकारी नहीं देते हैं और कहते हैं कि बाहर वाली बात लाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस में कौन सी बेइज्जती हो गई। आप मेरी बात नहीं सुनते हैं बाहर की बात सनाते हैं ऐसा कहने में क्या बेइज्जती हो गई। कोई बेइज्जती नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : वह झूठ बोलते हैं। वह झूठा है।

Mr. Speaker: Order, order—Shri Vasudevan Nair.

Shri Vasudevan Nair: Sir, just a few days back....

श्री शिव नारायण : वह कहते हैं कि मिनिस्टर झूठा है यह क्या है ।

Shri Vasudevan Nair: Sir, I had occasion to attend a very largely attended meeting of this.....

Shri Sinhasan Singh: Sir, I rise to a point of order. The hon Member, Shri Banejee said: "मिनिस्टर झूठा है ।" Is it parliamentary to use such language? Does it not amount to misuse of the privilege that he has as a Member of this House? Had he said the same thing outside, action would have been taken against him in a criminal court or civil court for defamation or something like that. Here he has the privilege to say anything. He has called the Minister *"Jhoota."* I want your ruling as to whether this comes under the privilege that he enjoys as a Member of this House.

Mr. Speaker: I cannot answer that orally, whether it comes within the privilege or not. If some notice is given, I can consider that. Otherwise, this word, I have already ruled more than once that it is not parliamentary, it should not be used and it is wrong on the part of any hon. Member to use that word.

Shri Bhagwat Jha Azad: If it is wrong, it should be expunged from the proceedings.

श्री स० मो० बनर्जी : असत्य भाषण दिया है उन्होंने । मैं झूठ को वापस लता हूं । मैं कहता हूं कि वह असत्य भाषण कर रहे हैं । वह असत्यता के प्रतीक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनर्जी से कहूंगा कि वह बाहर चले जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं चला जाऊंगा ।

श्री मधु लिमये : उन के द्वारा लफ्ज वापस लेने पर भी आप कह रहे हैं कि वह बाहर चले जायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बार बार कह रहा हूं लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं हैं ।

Shri Umanath: Sir, he has withdrawn his remarks. (*Interruption*).

अध्यक्ष महोदय : वह बाहर चले जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं किसी की मर्जी से यहां नहीं आया हूं ...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से कहा है कि आप बाहर चले जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया है । मैं कांग्रेस की वफ़ादारी नहीं करता, मैं बफ़ादारी देश की करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बाहर चले जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : बाहर तो मैं चला ही जाऊंगा ।

Shri Umanath: I would like to know, Sir, why he is asked to go out. He withdrew the remarks....

Mr. Speaker: He obstructed the proceedings. I asked him nearly six times that he should resume his seat. He did not sit down and went on interrupting. Therefore, I have asked him to go out.

श्री बागड़ी : आप माननीय सदस्य को इस तरह से निकालते हैं यह तरीका ठीक नहीं है । आप हमेशा एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि कोई सवाल उठाये तो वह बाहर चला जाये । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे बार-बार रोकने पर भी बोलना बन्द नहीं कर रहे थे ।

श्री बागड़ी : आप माननीय सदस्य को बैठे रहने दीजिये ।

(*Shri S. M. Banerjee then left the House.*)

Shri Vasudevan Nair: Sir, just a few days back I had an occasion to attend a largely attended meeting of these employees. What I understood was this, that the ex-CAG was, particularly, standing in the way of recognition being granted to this association. Their representatives were saying that they hoped, in view of the fact that he has retired and the new CAG has assumed office and also in view of the fact that in their Ranchi Conference they had done everything that was expected of them by this Minister, they will be given recognition. May I know whether in view of this new situation the Government are reconsidering the whole matter and they are going to give recognition to this Union?

Shri L. N. Mishra: As said earlier also, only a few days back this association has been informed that steps are being taken to give them *de facto* recognition. There is no question of the old CAG or the new CAG: it is not a question of individuals, it is a question of policy and facts.

Shrimati Renu Chakravartty: We are not able to follow you. Please speak a bit loudly.

Shri L. N. Mishra I was telling that only a few days back the association has been informed that steps are being taken to give them *de facto* recognition, and they are getting it. There is no question of denying it at all. I was mentioning about the joint conciliation machinery. It is a fact. I only said that efforts are being made to set up the joint conciliation machinery. The hon. Member Opposite said that it was not a fact. Efforts are being made. I only warn the se people who want recognition to be given to Government employees' associations not to rake up the past. The past is not so good as the hon. Member on the other side thinks. They should not ask me to rake up the past of this association (*Interruptions*).

Shri Ranga: Sir, I can easily appreciate the strength of the feelings expressed by some of the Members here, though not in the manner that you could possibly permit or approve of. The hon. Minister himself has stated that when he was in charge of labour, this question was there. Now also it is there. For the last six or seven years this trouble has been there. So many of us have been trying to discourage these people from going on strike and doing anything of this nature. Parliament itself is more intimately interested in seeing that this office works in harmony, than the Finance Minister or the Labour Minister. Therefore, in view of the delicacy that generally prevails, and ought to prevail also between the executive section on the one side and the office of the Comptroller and Auditor-General on the other, may I know whether Government have considered, or would they consider now, the feasibility of using the good offices of the President, the Chairman and the Speaker and see to it that no further delay is caused and that expeditious steps are taken to see that the rules are formulated and recognition is given, or rather even before the rules are formulated the recognition is given and harmonious relations between the executive heads of this office and the employees are achieved?

Shri L. N. Mishra We would only welcome any help in the matter. But I might say that the situation is not as bad as described by Professor Ranga.... (*interruptions*).....Let me have my say in a minute. There is no lack of effort or appreciation of the position on the part of the Government. We are not at all lukewarm in the matter. In fact, recognition was given in 1956. It was be-

cause of not very healthy activities on their part that this was withdrawn in 1959. In between, the judgment of the Supreme Court came and we had no right to give them recognition. That situation has continued till now. Therefore, we have thought of an other alternative, to give them *de facto* recognition. Therefore, so far as Government is concerned, we are all for giving them recognition, we are all for giving them any assistance we can. A joint conciliation machinery is also being set up. I think the position has considerably improved. But if any help is given to us, we will only welcome it.

Mr. Speaker: Next question. Shri Linga Reddy.

Shri Umanath: Sir, I have been repeatedly standing.

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: They might ask for a discussion on it, if they so desire. 25 minutes have already been taken on this. I cannot give any more time. If Members do desire, a separate discussion may be asked for, by giving notice. Now, Shri Linga Reddy.

Shri Umanath: Sir I want to put only one question I never stand up like this and insist on putting a question.

Mr. Speaker: I agree that he has been standing repeatedly. I also agree that I have not been able to call him. I am sorry for it. But I cannot give him an opportunity now, not in this manner.

Shri Umanath: I would like to submit that the only way of having a discussion on this is to give notice of a half-an-hour discussion. I understand from the Secretariat that notices have already been received for a large number of half-an-hour discussions during this session. So, there is no chance of its coming up in this session.

Mr. Speaker: I will see that the hon. Member is accommodated.

Exploitation of Rivers for Power and Irrigational Purposes

780. Shri H. C. Linga Reddy:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Warior:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Prabhat Kar:
Shri Ram Harkh Yadav:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the extent to which the rivers of the country have been exploited for irrigation and power so far in the last three five year plan periods;

(b) the extent to which they still remain to be exploited in the Fourth Plan period and whether Government have a phased programme for doing it; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Irrigation

The available river water resources in the county have been estimated at about 1360 million acre-feet, but owing to physiographical conditions only about 450 million acre feet can be used for irrigation. Upto 1951, only about 76 million acre-feet or 17 per cent of the usable annual flow were utilised. This increased by the end of the Third Plan to about 150 million acre-feet or 33 per cent of the usable flow.

Another 50 million acre-feet are likely to be used in the Fourth Plan. This will bring the total utilisation at the end of the Fourth Plan to 200 million acre-feet or about 45 per cent of the usable flow. The spillover projects from the Fourth Plan will utilise another 50 million acre-feet. This leaves 200 million acre-feet for subsequent exploitation.

Power

The hydro-electric potential of the country is estimated at approximately